न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 308/2018

पांची प० रायचन्द्र पुत्र रामदेव कौम बैरवा निवासी लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी

----अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम

पीठासीन अधिकारी : श्री शंकरलाल सैनी (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 18.01.2019

पत्रावली न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम लसाडिया** तहसील **केकडी** की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में खाता संख्या 99 में दर्ज खसरा नम्बर खसरा नम्बर 469 रकबा 0.35 है. पांची पत्नि रामचन्द्र कौम बैरवा •सा.देह खातेदारी दर्ज है। उक्त प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात में खातेदार पांची पत्नि रामचन्द्र **के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी 20161 एवं नामान्तरण स. 376 दिनांक 2.2.08 अनुसार** पांची पत्नि रायचन्द्र कौम बैरवा दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी के प्रर्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । तहसीलदार केकडी , भू. अभि.निरी. ,पटवारी हल्का **लसाडिया** की रिपोर्ट पेश हुयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **ग्राम लसाडिया** तहसील **केकडी** की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में खाता संख्या 99 में दर्ज खसरा नम्बर 469 रकबा 0.35 है. पांची पत्नि रामचन्द्र सा.देह खातेदार का अंकन है। जर्ये नामा. स. 376 दिनांक 2.2.08 जर्ये बेचान से नामा. में क्रेता पॉची पत्नि रामयचन्द्र कौम बैरवा हि. 1/2 हि. कौम बैरवा नाम से नामा. स्वीकार हुआ है। परन्तु अमल करते समय पांची पत्नि रायचन्द्र के स्थान पर पांची पत्नि रामचन्द्र दर्ज हो गया।अतः पांची पत्नि रामचन्द्र के स्थान पर पांची पत्नि रायचन्द्र का अंकन दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया संलग्न दस्तावेज के अवलोकन बाद उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात **ग्राम लसाडिया** तहसील **केकडी** की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में खाता संख्या 99 में दर्ज खसरा नम्बर 469 रकबा 0.35 है. पांची पत्नि रामचन्द्र **के स्थान पर बाद अवलोकन जमाबन्दी स. 2061 व नमा.स. 376 अनुसार** पांची पत्नि रायचन्द्रकौम बैरवा का अंकन दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया व निर्णय शामिल पत्रावली किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)